प्रेषक,

अपर मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी
जनपद– बरेली

पत्रांकः SPMU/SS Visit/Bareilly/2019-20/01/ 9030 दिनांकः 30.01.2020

विषयः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा किये गये भ्रमण के सम्बंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि राज्य स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा दिनांक 22 से 25 जनवरी 2020 के मध्य आपके जनपद में चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किये जाने के उद्देश्य से भ्रमण किया गया था तथा भ्रमण दल द्वारा चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही सेवाओं में सुधार लाने हेतु आवश्यक सुझाव दिये गये (भ्रमण आख्या संलग्न)।

आपको निर्देशित किया जाता है कि राज्य स्तरीय भ्रमण दल द्वारा पायी गयी कमियों का निराकरण कराते हुए अनुपालन आख्या 01 सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीया

(जसजीत कौर)
अपर मिशन निदेशक

पत्र संख्याः SPMU/SS Visit/Bareilly/2019-20/01/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि – मिशन निदेशक, महोदय को सूचनार्थ एवं निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, बरेली, उत्तर प्रदेश।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त महाप्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
6. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट, बरेली, उत्तर प्रदेश।
7. जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक/जनपदीय शहरी स्वास्थ्य समन्वयक, बरेली, उत्तर प्रदेश।

(विवेक द्विवेदी)
महाप्रबंधक, प्रोक्योरमेंट

प्रेषक,

अपर मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी
जनपद– बरेली

पत्रांकः SPMU/SS Visit/Bareilly/2019-20/01/ दिनांकः 30 .01.2020

विषयः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा किये गये भ्रमण के सम्बंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि राज्य स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा दिनांक 22 से 25 जनवरी 2020 के मध्य आपके जनपद में चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किये जाने के उद्देश्य से भ्रमण किया गया था तथा भ्रमण दल द्वारा चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही सेवाओं में सुधार लाने हेतु आवश्यक सुझाव दिये गये (भ्रमण आख्या संलग्न)।

आपको निर्देशित किया जाता है कि राज्य स्तरीय भ्रमण दल द्वारा पायी गयी कमियों का निराकरण कराते हुए अनुपालन आख्या 01 सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीया

(जसजीत कौर)
अपर मिशन निदेशक

पत्र संख्याः SPMU/SS Visit/Bareilly/2019-20/01/ 9030-7 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि – मिशन निदेशक, महोदय को सूचनार्थ एवं निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, बरेली, उत्तर प्रदेश।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त महाप्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
6. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट, बरेली, उत्तर प्रदेश।
7. जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक/जनपदीय शहरी स्वास्थ्य समन्वयक, बरेली, उत्तर प्रदेश।

(विवेक द्विवेदी)
महाप्रबंधक, प्रोक्योरमेंट

जनपद बरेली की सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की भ्रमण आख्या

भ्रमण अवधि– दिनांक 22 से 25 जनवरी, 2020

राज्य स्तरीय टीम

1. श्री सिद्धार्थ भूईयान, समन्वय अधिकारी, प्रोक्योरमेंट, पी.एम.यू.।
2. श्री अरुण श्रीवास्तव, कार्यक्रम समन्वयक, एस.पी.एम.यू.–एन.एच.एम.।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–सुभाषनगर

पर्यवेक्षण के बिन्दु	की गयी कार्यवाही
• नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुभाषनगर को ई–नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रुप में परिवर्तित कर संचालित किया जा रहा है।	•
• नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर इन्वर्टर एवं बैटरी अक्रियाशील पाये गये एवं इस हेतु ट्राली की आवश्कता है।	• नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम. एवं शहरी स्वास्थ्य समन्वयक से वार्ता कर उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।
• पैथोलॉजी में की जाने वाले जॉचों को लैब के बाहर प्रदर्शित नही किया गया था।	• इकाई पर की जाने वाली जॉचों को प्रदर्शित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
• नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर राज्य स्तर से प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरुप उपकरण नही पाये गये जैसे –Stretcher, Oxygen trolly, Foot Step, digital clock with temperature, etc.	• राज्य स्तर से प्रेषित दिशा – निर्देशों के अनुसार प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपकरण की उपलब्ध सुनिश्चित किये जाने हेतु नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम. से अनुरोध किया गया।
• इकाई पर साकेट के बिना सीधे तार को प्लग से लागये गये थे।	• सुरक्षा की दृष्टिगत तत्काल ठीक कराना सुनिश्चित किया जाय।
• नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात स्टाफ नर्स को हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लक्षणों के विषय में नही पता था।	• इस हेतु 01 दिवसीय कार्याशाला का आयोजन करते हुये सभी स्टाफ नर्सो एवं ए.एन.एम. को प्रशिक्षित कराये जाने का सुझाव दिया गया।
• रोगी कल्याण समिति की बैठक नही करायी जा रही है।	• इस सम्बन्ध में नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम. एवं जनपदीय शहरी स्वास्थ्य समन्वय के साथ वार्ता करते हुये तत्काल पूर्ण कराये जाने हेतु सुझाव दिये गये।
• नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात स्टाफ नर्स के द्वारा आई.यू.सी.डी. लगाया जा रहा है एवं डिलीवरी करायी जा रही है, लेकिन आटोक्लेव का उपयोग कैसे किया जाना है इसकी जानकारी नही है।	• इस सम्बन्ध में नोडल अधिकारी एन.यू.एच.एम. से वार्ता कर बताया गया कि सभी स्टाफ नर्सो को प्रशिक्षित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
• अन्तरा की प्रथम डोज स्टाफ नर्स के द्वारा चिकित्सक की उपस्थिति के बिना लगायी जा रही थी।	• इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि अन्तरा की प्रथम डोज स्टाफ नर्स के द्वारा चिकित्सक की उपस्थिति में लगयी जाय।
• ई– नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 43 मरीज देखे गये थे, परन्तु एक भी मरीज का आनलाइन रजिस्टेशन नही किया गया था।	• शतप्रतिशत मरीजों का आनलाइन रजिस्टेशन सुनिश्चित किया जाय।

पर्यवेक्षण के बिन्दु	की गयी कार्यवाही
• ई–नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कम्प्यूटर सिस्टम को संचालित किये जाने हेतु पावर बैकअप की व्यवस्था नही थी।	• इस सम्बन्ध में महानिदेशक, परिवार कल्याण के पत्र का संज्ञान लेते हुये तत्काल डबल बैटरी युक्त इन्वर्टर लगवाये जाने का सुझाव दिया गया।
• नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर राज्य स्तर से प्रेषित दिशा निर्देश के अनुरुप प्रिन्टेड रजिस्टर उपलब्ध नही पाये गये और न ही समस्त रिकार्ड पूर्ण थे।	• सभी रिकार्ड की उपलब्धता जनपद स्तर से सुनिश्चित की जाय साथ समस्त रिकार्ड इकाई पर चिकित्साधिकारी के द्वारा समय समय पर सत्यापित की जाय।
• आई0यू0सी0डी0, अन्तरा एवं ए0एन0सी0 लाभार्थियों का फालोअप नहीं हो रहा है।	• प्रत्येक लाभार्थियों का फालोअप सम्बन्धित स्टाफ के द्वारा सुनिश्चित किया जाय एवं 10 प्रतिशत डाटा का चिकित्साधिकारी द्वारा वेरीफिकेशन किया जाय।
• समस्त स्टाफ की बायोमेट्रिक उपस्थिति शत प्रतिशत सुबह/शाम को किया जाना है, जोकि वर्तमान में नही हो रही है।	• समस्त स्टाफ की बायोमेट्रिक उपस्थिति शत प्रतिशत सुनिश्चित की जाय।
• ई–नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर डिजिट्राइलेजशन के सम्बन्ध में आने वाली कठिनाईयों को सीधे ई–वैद्या के कर्मचारियों को बताया जा रहा था।	• इस सम्बन्ध में सभी समस्याओं को टोल फ्री नं. 18001030365 पर दर्ज कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
• आक्सीजन सिलेण्डर एवं आटोक्लेव का रिकार्ड नही बनाया जा रहा है।	• आक्सीजन सिलेण्डर एवं आटोक्लेव का रिकार्ड बनाना/पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाये। साथ ही आक्सीजन सिलेण्डर एवं आटोक्लेव के उपयोग हेतु समस्त स्टाफ नर्सो को प्रशिक्षित किया जाय।
• कलर कोडेड बिंस की उपलब्धता एवं उसके उपयोग के विषय में समस्त स्टाफ को जानकारी का अभाव पाया गया।	• इस सम्बन्ध में सभी स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाना एवं प्रोटोकॉल प्रदर्शित किया जाना है।
• आउटरीच कैम्प का डाटा इकाई पर उपलब्ध नही था और न ही कैम्प से वापस आने वाली/उपयोग की जाने वाली दवाओं का विवरण उपलब्ध नही पाया गया।	• रिकार्ड की उपलब्धता शत प्रतिशत सुनिश्चित की जाय एवं चिकित्साधिकारी के द्वारा उनका समय समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित किया जाय।
• भरे हुये सी.बैक फार्म इकाई पर उपलब्ध नही पाये गये।	• सी.बैक फार्म का भरा जाना और शत प्रतिशत रिपोर्टिंग सुनिश्चित किया जाना है।
• नियर एक्सपायरी दवायें उपयोगिता की मात्रा से ज्यादा पायी गयी।	• इस सम्बन्ध में फार्मासिस्ट को निर्देशित किया गया कि एक्सपायरी से 03 माह पहले इसकी सूचना सी.एम.एस. डी. स्टोर का उपलब्ध करा दें और उनके निर्देशन में अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
• स्टाक रिजस्टर में कुछ का एक्सपायरी एवं बैच नं0 नही लिखा गया था।	• समस्त की एक्सपायरी एवं बैच नं0 लिखना सुनिश्चित किया जाय।
• इकाई पर 01 ही स्टाफ नर्स तैनात है, जबकि इकाई पर डिलीवरी, ई–नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रुप में संचालित किया जा रहा है।	• संज्ञान में आया है कि जाटवपुरा इकाई पर 03 स्टाफ नर्स है उचित प्रतीत होता है कि 01 स्टाफ नर्स को जाटवपुरा से सुभाष नगर स्थानान्तरण कर दिया जाय।
• औषधि भण्डार कक्ष में दवाओं को व्यवस्थित न लेवलिंग करके नही रखा गया था।	• समस्त इकाई के औषधि भण्डार कक्ष में दवाओं को व्यवस्थित करने एवं लेवलिंग कराया जाना सुनिश्चित

पर्यवेक्षण के बिन्दु	की गयी कार्यवाही
	किया जाय।
• औषधि भण्डार हेतु इकाई पर रैक की आवश्कता है।	• जनपद स्तर से उपलब्धता कराये जाने हेतु नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम. से अनुरोध किया गया।
• शिकायत पेटिका के रिकार्ड नही बनाये जा रहे थे।	• शिकायत पेटिका प्रत्येक सप्ताह के एक निर्धारित दिवस पर खोली जाये और उसका रिकार्ड बनाना सुनिश्चित किया जाय।
अन्य बिन्दु	
• *जनपद में स्वास्थ्य सेवायें हेतु संचालित एन.यू.एच.एम. के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रमों को नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रवार जनसंख्या के अनुसार लक्ष्य का निर्धारण करते हुये संचालित कराया जाना है। साथ इकाईवार लक्ष्य के अनुसार धनराशि का आंगणन करते हुये सम्बन्धित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के खाते में धनराशि का आवंटन एवं व्यय सुनिश्चित किया जाना है।*	

जिला महिला चिकित्सालय – बरेली

विगत माह भ्रमण के बिन्दु	की गयी कार्यवाही	वर्तमान स्थिति
• वार्ड से सम्बन्धित बाथरुम के बासबेसिन अक्रियाशील पाया गया। • बाथरुम में यूरिन बैग रखे हुये पाये गये।	• बाथरुम में लगे टैब को ठीक करा दिया गया है और बाथरुम साफ सुधरा पाया गया।	• उपयोग में लाया जा रहा टब टूटा हुआ था और उपयोग की जा चुकी सिरिंज बाथरुम में पायी गयी।
• प्राइवेट वार्ड को स्टोर के रुप में उपयोग में लाया जा रहा था एवं कन्डम बेड रखे हुये थे।	• प्राइवेट वार्ड से सभी सामान को हटवाते हुये प्राइवेट वार्ड के रुप में परिवर्तित करा दिया गया है।	•
• बाथरुम में लगे हुआ Exhaust Fan क्रियाशील नही था।	• Exhaust Fan को ठीक कराके लगवा दिया गया है।	•
• सफाई कर्मियों के द्वारा अपने सामान सभी बाथरुम एवं वार्डो में रखे हुये पाये गये और इस हेतु कोई एक निश्चित स्थान की व्यवस्था नही की गयी थी।	• सफाई हेतु उपयोग में लाये जाने वालो सामानों हेतु एक निश्चित स्थान चिन्हित किया गया है।	•
• आपरेशन थियेटर – • माह दिसम्बर, 2019 की एक्सपायरी दवायें रखी हुई पायी गयी एवं इस सम्बन्ध में स्टाफ को भी अद्यतन स्थिति की जानकारी नही थी और न ही रिकार्ड उपस्थित था। • ओ.टी. में मरीजों हेतु बना टायलेट ब्लाक था। • नसबन्दी से सम्बन्धित केसों का फॉलोअप नही किया जा रहा था।	• सभी औषधियों के रिकार्ड को अद्यतन किया जा रहा है और कोई भी एक्सपायरी दवा नही पायी गयी। • नसबन्दी केसो का वर्तमान में फालोअप करते हुये रिकार्ड में दर्ज किया जा रहा है।	• ओ.टी. में मरीजों हेतु बना टॉयलेट ब्लाक था।
• लेबर रुम – • आटोक्लेव रजिस्टर 27.11.2019 के	• आटोक्लेव रजिस्टर में रिकार्ड दर्ज किये जा रहे थे और जे.	• लेबर रुम में रिकार्ड पूर्ण रुप से भरे नही जा रहे हैं जैसे – केस शीट,

विगत माह भ्रमण के बिन्दु	की गयी कार्यवाही	वर्तमान स्थिति
बाद भरा नही गया था। • जे.एस.एस.के. डाइट नियमानुसार नही दी जा रही थी खाने में केवल दाल एवं रोटी दी जा रही थी। • लेबर रुम में एक्सपायरी दवायें पायी गयी।	एस.एस.के भी मानकानुसार उपलब्ध करायी जा रही है। • दवाओं को रख रखाव उचित और व्यवस्थित पाया गया।	इन्डोर रजिस्टर, इत्यादि। • कुछ रजिस्टर प्रिन्टेट उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है जैसे– एच. आर.पी.,
नवीन बिन्दु		
• चिकित्सालय के अन्दर टू व्हीलर गाडी खडी पायी गयी।	• तुरन्त हटवाया गया और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सी.एम.एस. महोदया से अनुरोध किया गया।	
• हाउसकीपिंग के रिकार्ड को नियमित रुप से अद्यतन नही किया जा रहा था।	• सी.एम.एस. महोदया को इन समस्त बिन्दुओं से अवगत कराया गया और उनके द्वारा तत्काल ठीक करा लिये जाने का आश्वासन दिया गया।	
• टेबल के दराजों में दवाओं रखी हुई पायी गयी।		
• Distilled water से भरी हुई सिरिंज पायी गयी जो कि पूर्व से भर कर बाक्स में रखी हुई थी।		
• कान्डोम बाक्स मानकानुसार नही लगा हुआ था, छोटे से प्लास्टिक बाक्स का उपयोग कान्डोम बाक्स के रुप मे किया जा रहा था।		

<u>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–भमौरा</u>

पर्यवेक्षण के बिन्दु	की गयी कार्यवाही
• सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आर.बी.एस.के हेतु 02 टीम संचालित की जा रही है।	• टीम के सदस्यों के साथ अनुपस्थित होना एवं समय से क्षेत्र में न जाने के कारण शासन के मंशा के अनुसार कार्य नही हो रहा है। इस सम्बन्ध में अधीक्षक एवं नोडल अधिकारी को उचित कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया।
• टीम ए की डा0 तुलिका डा0 नरेन्द्र श्री प्रदीप एवं टीम बी की डा0 अंशु छुट्टी पर थे।	
• पर्यवेक्षण के समय 10.55 पर दोनों टीम के सदस्य इकाई पर ही पाये गये।	
• आर.बी.एस.के. टीम हेतु उपयोग में लायी जा रहे वाहन की लॉग बुक उपलब्ध नही करायी गयी वाहन चालक के बताया गया कि लॉग बुक वाहन मालिक के पास रहती है।	
• टीम बी दिनांक 22 को प्लान के अनुसार क्षेत्र में नही गयी थी।	
• आर.बी.एस.के. के टीम के द्वारा रिकार्ड पूर्ण रुप से नही भरे जा रहे हैं।	
• भ्रमण के दौरान मांगे जाने के उपरान्त भी सपोर्टिव सुपरविजन के वाहन की लॉग बुक उपलब्ध नही करायी	

पर्यवेक्षण के बिन्दु	की गयी कार्यवाही
जा सकी।	
• कमरो के उपर एवं बोर्ड पर साइनेज नही लगे हुये थे।	• अधीक्षक द्वारा बताया गया कि 10 दिवस के अन्दर यह कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।
• लैब में सेंटीफ्यूज खराब था परन्तु टोल फ्री नं0 18002700129 पर कम्प्लेन दर्ज नही करायी जा रही है।	• किसी भी उपकरण के खराब होने की स्थिति में उसको टोल फ्री नं 18002700129 पर काल करके दर्ज कराया जाय।
• लैब के रिकार्ड मानकानुसार पूर्ण नही किये जा रहे है एवं प्रिन्टेड रजिस्टर उपलब्ध नही थे।	• रिकार्ड पूर्ण किये जाने हेतु प्रारुप बताया गया और तत्काल पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
• टेली रेडियोलॉजी के अन्तर्गत टी.आर.एफ. फार्म में क्लीनिक ब्यौरा चिकित्साधिकारी के द्वारा नही भरा जा रहा है।	• अधीक्षक के द्वारा आज से ही भरा जाना सुनिश्चित किया गया।
• टेली रेडियोलॉजी के अन्तर्गत रजिस्टर में मासिक रिपोर्ट तैयार कर रेडीओग्राफर एवं अधीक्षक के हस्ताक्षर किया जाना होता है, जो कि नही किया जा रहा है।	• अधीक्षक द्वारा इसको प्रत्येक माह पूर्ण कराये जाने का आश्वासन दिया गया।
• टेली रेडियोलॉजी का डिजीटइजर एव स्कैनर का डाउन टाइम एवं मेन्टनेंस से सम्बन्धित जानकारी को दर्ज नही किया जा रहा है।	• इस हेतु रजिस्टर तैयार कर समस्त रिकार्ड दर्ज किये जाना सुनिश्चित किया जाय।
• टेलीरेडियोलॉजी स्कैनर से प्राप्त फिल्म गुणवत्ता परक नही थी।	• सर्विस प्रोवाइडर से सम्पर्क कर सुधार किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।
• UP32 BG 9724 108 एम्बुलेंस में आक्सीजन सिलेण्डर मास्क गन्दा था, ई.एम.टी. को इमेरजेंसी प्रोटोकॉल के विषय में पता नही था और फास्टेड बाक्से गाडी के टूल रखे हुये पाये गये।	• अधीक्षक द्वारा समय समय पर एम्बुलेंस की जॉच करते हुये आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।
• बाथरुम के वासबेसिन कियाशील नही पायी थी।	• 10 दिवस के अन्दर समस्त कार्य को पूर्ण करा लिये जाने का आश्वासन चिकित्साधिकारी द्वारा दिया गया।
• लेबर रुम हेतु फ्रीज की उपलब्धता नही है।	
• लेबर रुम एवं नियोजन से सम्बन्धित रिकार्ड अद्यतन नही किये जा रहे हैं।	
• ए.एन.सी. के रिकार्ड एवं लैब में ए.एन.सी. हेतु की गयी हीमोग्लोबिन की जॉच में भिन्नता पायी गयी।	
• पी.पी.आई.यू.सी.डी. कार्ड की उपलब्धता इकाई पर नही थी और न ही लाभार्थियों का फालोअप किया जा रहा था।	
• अन्तरा की प्रथम डोज एम.बी.बी.एस. चिकित्सक की उपस्थित के बिना भी लगायी जा रही है।	
• स्टेलाइजेशन एवं आक्सीजन लॉग बुक नही बनायी गयी है।	
• इकाई पर की जाने वाले वैक्सीनेशन के उपयोग टेबल के अन्दर उपयोग की गयी एवं भरी हुई वैक्सीन पायी गयी, जबकि रविवार से पोलियो प्रोग्राम संचालित किया	• सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध उचित अनुशासनान्तक कार्यवाही करना एवं चेतावनी पत्र अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर से उचित प्रतीत होता है।

पर्यवेक्षण के बिन्दु	की गयी कार्यवाही
जा रहा है। जोकि सम्बन्धित कर्मचारी की घोर लापरवाही की द्योतक है।	
• कोल्ड चेन रुम के सामने स्टोर की गयी वैकसीन कैरियर में टीकाकरण के दौरान उपयोग की जाने वाली वैक्सीन पायी गयी, जबकि रविवार से पोलियो प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है। जोकि सम्बन्धित कर्मचारी की घोर लापरवाही की द्योतक है।	
• अग्निशमन यंत्र के उपयोग हेतु सभी स्टाफ के ओरिण्टेशन कराये जाने की आवश्यकता है।	• अधीक्षक द्वारा अग्निशमन विभाग से इस सम्बन्ध में सम्पर्क किया जा रहा है।
• शिकायत/सुझाव पेटिका लगायी गयी थी, परन्तु उसके सम्बन्ध में कोई रिकार्ड नही बनाया गया था।	• प्रारुप बताते हुये रिकार्ड को बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
• औषधि भण्डार कक्ष में दवाओं पर लेवनिंग एवं एक्सपायरी रजिस्टर को नियमानुसार पूर्ण किये की आवश्यकता है।	• एक्सपायरी रजिस्टर को पूर्ण किये जाने हेतु प्रारुप बताया गया और तत्काल पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर मुख्य चिकित्साधिकारी को अवगत कराया गया तथा सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु अपने स्तर से सम्बंधित को निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया।

(अरुण कुमार श्रीवास्तव)
प्रोग्राम कॉर्डिनेटर, एन.यू.एच.एम.
एस.पी.एम.यू., लखनऊ

(सिद्धार्थ भूईयान)
समन्वय अधिकारी
पी.एम.यू., एस.पी.एम.यू.